न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्री भंवर लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति- पुरोहित, निवासी- कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही
2. श्री नारायणलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति- पुरोहित, निवासी- कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला-सरोही

राजस्व अपील संख्याः 13/2017

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 22 फरवरी, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा प्रकरण संख्याः 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.9.2017 बाबत ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 1387/1 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. पहाड भूमि का अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उप तहसीलदार, कैलाशनगर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/694 दिनांक 10.11.2017 के द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलार्थीगण ने ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 1387/1 रकबा 0.01 बीघा भूमि पर कोई अतिक्रमण/कब्जा नही किया है एवं न ही खेतीबाडी की है। अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि कोई पक्का निर्माण भी नही किया है, केवल मौके पर वृक्षारोपण किया गया है। विवादित भूमि कृषि प्रयोजन की नही होकर गै.मु. पहाड की

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधान केवल कृषि प्रयोजन की भूमि पर ही लागू होते है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के खाते में दर्ज है एवं यदि ग्राम पंचायत के खाते की भूमि पर कोई अतिचार होता है तो ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रकरण में उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि से अतिक्रमण/कब्जा हटा लिया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कैलाशनगर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत् 2074 में विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धाा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया, लेकिन अपीलार्थीगण ने नोटिस लेने से इन्कार किया। जिस पर नोटिस की प्रति अपीलार्थीगण के आबाद मकान पर चस्पा की गई, लेकिन अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही बचाव में साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत किये। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। पेरोकार सरकार ने यह भी व्यक्त किया कि विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर प्राकृतिक/बरसाती पानी के निकासी अवरुद्ध की गई है। प्रकरण में उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हल्का पटवारी, कैलाशनगर व भू अभिलेख निरीक्षक, कैलाशनगर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 के अनुसार अतिक्रमियों ने मौके से ईट, पत्थर व लकडीया हटा दी है, परन्तु अभी तक मौके पर पानी निकासी को सुचारु नही किया गया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, कैलाशनगर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 1387/1 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा नोटिस लेने से इनकार करने पर नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस के पुस्त भाग पर तामिल कुनिन्दा एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर किये हुए है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण को नोटिस की तामिल होने जाने के बावजूद भी अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा उप तहसीलदार, कैलाशनगर से विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने पर उप तहसीलदार, कैलाशनगर के पत्र क्रमांक:राजस्व/2017/694 दिनांक 10.11.2017 के संलग्न प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी भंवरलाल, नारायणलाल पिसरान- चुन्नीलाल जी, जाति- पुरोहित, निवासी- कैलाशनगर द्वारा ईट, पत्थर व लकड़ीया मौके से हटाकर अपने स्वामित्व की भूमि में डाल दिय है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 में यह भी अंकित किया गया है कि मौके पर जो पानी निकासी को अवरुद्ध किया था उसको अभी तक सुचारु नही किया गया है। इस प्रकार, उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में मुख्य रुप से विवाद पानी की निकासी के संबंध में है। जो न्यूसेन्स की श्रेणी में आता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज को प्रेषित पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/664 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उक्त न्यूसेन्स के संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिवगंज के न्यायालय में धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण संख्या 04/2017 विचाराधीन है।

चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 के अनुसार अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि के मौके से ईट, पत्थर व लकड़िया हटा दी है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण के अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 29.9.2017 बाबत विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

22-02-18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही